न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरेराज पूर्वी चम्पारण।

GR.Case No.1992/2001
Cis no 345/15

अ0नि0 जय प्रकाश सिंह थाना–पहाड़पुर
जिला–पूर्वी चम्पारण।

बनाम

1. नागेन्द्र राउत पिता देवनारायण राउत
साकिन पिपरा, थाना–पहाड़पुर जिला–पूर्वी चम्पारण

29-05-2024

वाद पुकारा गया। मामला उपस्थिति पर निर्धारित है प्रस्तुत मामले में यह वाद दिनांक 24.09.2001 को आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)ए , 26 में न्यायालय में दाखिल किया गया तत्पश्चात दिनांक 05.11.2001 को आरोप पत्र अंतर्गत धारा 25(1–बी)ए , 26 प्रस्तुत किया गया। दिनांक 05.11.2001 को मामले में 25(1–बी)ए , 26 संज्ञान लिया गया । अभियुक्त को जो न्यायिक अभिरक्षा में था दिनांक 11.04.2002 को जमानत प्राप्त हुई । मामला साक्ष्य पर निर्धारित हुआ दिनांक 11.04.2008 को अभियुक्त का बंधपत्र खंडित किया गया । तत्पश्चात अभियुक्त दिनांक 21.11.2008 को न्यायालय में पुलिस अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया पुनः दिनांक 25.11.2008 को अभियुक्त को जमानत प्राप्त हुई और एक बार पुनः अनुपस्थित रहने के कारण अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 18.11.2019 को खंडित कर दिया गया और दिनांक 02.02.2021 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया । दिनांक 06.02.2024 को धारा 82 निर्गत किया गया, दिनांक 26.04.2024 को 83 दं.प्र.स. निर्गत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध तामिला नहीं प्राप्त है मामले में फिर भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी । परन्तु आज तक अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है अतः मामले में अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 952/1979 के छः सूत्रीय दिशा–निर्देशों के आलोक में अभियुक्त **1. नागेन्द्र राउत पिता देवनारायण राउत साकिन पिपरा, थाना–पहाड़पुर जिला–पूर्वी चम्पारण को**

फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा तत्पश्चात अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

दिनांक 29.05.2024
अरेराज, पूर्वी चम्पारण

लेखापित

मनीष कुमार पाण्डेय
अपर मु0न्या0दंडा0
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।